ग्राम पंचायत भियुंखरी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखों का

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भियुंखरी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान	अवधि
1	श्रीमती रतनी देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री राम कुमार राणा	23.1.16 से आगे

सचिव

क्र0सं0	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री सन्तोष कुमार	1.4.14 से 31.8.15
2	श्रीमती चुनी लाल	1.9.15 से आगे

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.18
2	8 (क)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.12
3	10	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	6.51
4	15 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	7.01

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत भियुंखरी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, भियुंखरी में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/14, 07/15 व 09/16 तथा व्यय हेतु माह 04/14, 08/15 व 09/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 **लेखा परीक्षा शुल्कः–**

ग्राम पंचायत भियुंखरी के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 99 दिनांक 10.10.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत भियुंखरी के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	800132.34	305932.21	1106064.55	640895	465169.55
2015–16	465169.55	875133.66	1340303.21	223576.61	1116726.60
2016–17	1116726.60	2563387.00	3680113.60	2137517.00	1542596.60

परिशिष्ट "क"

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत भियुंखरी के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	2697	769090	771787	771688	99
2015–16	99	0	99	0	99
2016–17	99	738838	738937	738838	99

परिशिष्ट "क"

(ग) वाटर शेड/IWMP:–

ग्राम पंचायत भियुंखरी के IWMP से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	604325	94948	699273	604181.50	95091.50
2015–16	95091.50	597034	692125.50	478233.50	213892.00
2016–17	213892	2030099	2243991.00	2228980.50	15010.50

परिशिष्ट "क"

(घ) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत भियुंखरी के **IAY** से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	80593	270131	350724	189708	161016
2015–16	161016	115262	276278	195300	80978
2016–17	80978	225994	306972	112900	194072

परिशिष्ट "क"

Consolidated Financial Position of Gram Panchayat Bhiyunkhari Dev. Block Nalagarh, Distt. Solan H.P.

Year	Opening Bal.	Income	Total	Expenditure	Closing Balance
2014-15	1487747.34	1440101.21	2927848.55	2206472.50	721376.05
2015-16	721376.05	1587429.66	2308805.71	897110.11	1411695.60
2016-17	1411695.60	5558318.00	6970013.60	5218235.50	1751778.10

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹43222.91 का अन्तर दर्शाया गया जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	1542596.60	1536525.69	6070.91
2	मनरेगा	99.00	0.00	99.00
3	वाटर शेड/IWMP	15010.50	23924.50	8914.00
4	इंदिरा आवास योजना (IAY)	194072.00	165933.00	28139.00
			कुल योग	**43222.91**

नोटः— आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः— ग्राम पंचायत के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः—

शीर्ष	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष		
	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
General	JCC Nalagarh	262	789552.98	JCC Nalagarh	262/000124	1525884.12
	JCC Nalagarh	13649	100	JCC Nalagarh	13649	100
	JCC Nalagarh	13648	100	JCC Nalagarh	13648	100
	Post Office Lagda dhar	———	46.45	Post Office Lagda dhar	———	46.45

	Cash in hand	–––	10332.91	Cash in hand	–––	10395.12
	Total	–––	800132.34	Total	–––	1536525.69
Manrega	JCC Ramsheher	4430	2697.00	JCC Ramsheher	2499 / 4430	0
Water Shed	JCC Ramsheher	2558	604116	JCC Ramsheher	2558	23924.50
	Cash in hand	–––	209	Cash in hand	–––	0
	Total	–––	604325	Total	–––	23924.50
IAY		As per Cash book	80593	JCC Ramsheher	1022	165933.00

नोटः–(i) अंकेक्षण के दौरान खाता संख्या 13649, 13648 तथा डाकघर लगदा धार की बैंक पास बुकें तथा सम्बन्धित बैंकों/डाकघर से 31.3.17 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण इन खातों के दिनांक 31.3.17 को दर्शाए गए अन्तिम शेषों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(ii) दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेषों में निम्नानुसार अन्तर पाए गए। अतः अन्तर के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	**दिनांक 31.3.14 को तुलन पत्र 2013–14 के अनुसार शेष**	**दिनांक 1.4.14 को रोकड़ बही के अनुसार शेष**
मनरेगा (खाता संख्या 4430/2499 JCC रामशहर)	47703	2697
IAY (खाता संख्या 2742 JCC रामशहर)	1465	80593

6 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i)रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में कई माहों के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्देशानुसार रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, प्रविष्टियों में कटिंग्स की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या भी नहीं लिखी गई थी जोकि नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त मनरेगा की रोकड़ बही में वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त

अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कडाई से किया जाए।

(ii) रोकड़ बही (सामान्य) में दिनांक 1.4.14 तक पूर्व सचिव नरेश चन्द के पास ₹9843.12 दर्शाए गए है। जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पंचायत सचिव से उक्त राशि की वसूली नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। मामला उच्चधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा सम्बन्धित पंचायत सचिव से उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

7 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹818327 शेष दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा उन्हें सम्बन्धित विभागों को वापस लौटाया जाये। तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित कार्यालय आदेश/दस्तावेजों का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास

कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ में अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अनुदानों का शीर्षवार अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(क)पंचायत राजस्व (गृहकर) की ₹0.12 लाख की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹11945 पंचायत राजस्व की वसूली नहीं की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹11945 (4445+7500) की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(i) गृहकरः–

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृह कर
2014–15	320	10	–––	3200	3200	00	3200
2015–16	350	10	3200	3500	6700	5955	745
2016–17	370	10	745	3700	4445	0	4445

(ii) मोबाईल टावरः–

कम्पनी का नाम	टावर की सं0	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	प्राप्ति	बकाया
BSNL	1	––	2500	2500	0	2500
		2500	2500	5000	0	5000
		5000	2500	7500	0	7500

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर तथा मोबाईल टावर रेंट की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती

राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर तथा मोबाईल टावर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

(ग) शराब उपकर की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत को वर्ष 2016–17 में शराब उपकर की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शराब उपकर की वसूली सम्बन्धित विभागों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(i) निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए।

माह	**रोकड़ बही**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**	**टिप्पणी**
04/14	मनरेगा	8	भूमि सुधार श्री सूरज प्रकाश सनोग	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
			भूमि सुधार श्री शंकर लाल भियुंखरी	–यथोपरि–
			भूमि सुधार श्री शंकर देव	–यथोपरि–
			भूमि सुधार श्री रागवीर भूगर	–यथोपरि–
			भूमि सुधार प्रेम सागर भियुंखरी	–यथोपरि–
			भूमि सुधार श्री रघुनाथ सनोग	–यथोपरि–
			भूमि सुधार श्री सूरज प्रकाश सनोग	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति नहीं दर्शाई गई
			भूमि सुधार प्रेम सागर भियुंखरी	–यथोपरि–
09/16		24	भूमि सुधार श्री रघुनाथ सनोग	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
04/14	सामान्य	56	रिपेयर रिटेनिंग वाल भियुंखरी धरेटी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति तथा निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया

09/16	91	निर्माण पाईप कलवर्ट लिंक रोड मजयारी	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
	92	निर्माझा लिंक रोड मजयारी से चवघ	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
	92	निर्माण कुसरी से एस सी बस्ती	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति तथा निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
	92	रिपेयर लिंक रोड भियुंखरी से सनोग	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया

(ii) अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर इनके कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशियों से ₹174788 का निम्नानुसार अधिक व्यय किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

माह	**निर्माण कार्य का नाम**	**निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि**	**निर्माण कार्य पर किया गया व्यय**	**निर्माण कार्य पर अधिक व्यय**
04/14	भूमि सुधार श्री सूरज प्रकाश, सनोग	50000	89600	39600
	भूमि सुधार शंकर देव	40000	100000	60000
	भूमि सुधार श्री रागवीर भुगार	40000	85000	45000
	भूमि सुधार श्री प्रेम सागर, भियुंखरी	60000	88188	28188
09/16	भूमि सुधार श्री रघुनाथ सनोग	50000	52000	2000
			कुल योग	**174788**

(iii) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption Statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दशाई जा रही था। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की Consumption निकालने हेतु Sonsumption Factors का विवरण नहीं दिया जा रहा था। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption Statement)

पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(iv) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कुछ निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित कर दिए गये थे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकी। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सामान की खरीद कार्य अवधि के दौरान की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(v) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो Register of Technical checks and technical sanctioned estimates का रजिस्टर (Form-31) तैयार किया जा रहा था तथा न ही Estimates की छाया प्रतियाँ higher technical authority को प्रेषित की जा रही थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) चयनित मासों (व्यय) में Water Shed के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख (प्राक्कलन, कार्य स्वीकृतियाँ, माप पुस्तिकाएं आदि) कई बार आग्रह के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए।

10 क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.51 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹651064 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार भविष्य में क्रय करते समय सम्बन्धित औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण की जाएगी।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	04/14	56	21150	बजरी, रेत तथा ढुलान
			7032	–यथोपरि–
			3000	शेटरिंग किराया
	09/16	91	17325	आर सी सी पाईप
		94	49300	दरवाजे खिडकियाँ
			30000	ईंटें
			30000	ईंटें
मनरेगा	04/14	8	24750	पत्थर
			5625	पत्थर
			9000	पत्थर
			14625	पत्थर
			36000	बजरी
			36000	बजरी
			30000	रेत
			30000	रेत
			11250	पत्थर
IWMP (वाटर शेड)	04/14	26	41225	ईंटें
			22477	खिडकियाँ
			22800	रेत
			19600	बजरी
			12750	इंटें ढुलान
			1100	दरवाजे ढुलान
			1360	सीमेंट डुलान
	08/15	37	2500	शेटरिंग
			3000	सीमेंट ढुलान
			26000	बजरी
			1875	गटका
			3270	सीमेंट किराया

	10325	रेत
	2275	रेत
	4000	शेटरिंग किराया
	16000	बजरी
	8750	रेत
	1250	गटका
	4000	शेटरिंग
52	45725	रेत, बजरी, गटका, सीमेंट ढुलान, शेटरिंग
	45725	–यथोपरि–
कुल योग	**651064**	

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मैटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फमों/कार्यालय सदस्यों से भुगतान के एवज में पावतियाँ प्रापत नहीं की जा रही थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	04/14	56	5050	मानदेय (ग्राम पंचायत सदस्य श्री सुख देव को ₹350 तथा श्रीमती बिमला देवी को ₹350 माह 03/14 से सम्बन्धित मानदेय के भुगतान की)
	09/16	91	17325	आर सी सी पाईप
		93	7393.20	सीमेंट
		94	49300	दरवाजे खिडकियाँ
		94	30000	ईंटें
		94	30000	ईंटें

IWMP (वाटर शेड)	04/14	26	41225	ईंटें
		26	22477	खिडकियाँ
		26	22800	रेत
		26	19600	बजरी
		26	31725	सीमेंट
		26	4914	सीमेंट
	09/16	51	47086	BDO नालागढ़ में जमा करवाई गई राशि की

12 आबंटित/जारी की गई राशियों के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को भैंस क्रय हेतु निम्नानुसार ₹103500 जारी की गई थी। परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता सम्बन्धी मानदण्ड भैंस क्रय हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**
Water Shed	09/16	50	13500
		51	13500
		52	13500
		53	12000
			13500
			13500
			12000
		54	12000
		कुल योग	**103500**

13 ₹1134 के छ सीमेंट बैग्स अभिलेख में दर्ज न होनाः–

बिल संख्या 0242159 दिनांक 29.4.14 (रोकड़ बही IWMP, पृष्ठ संख्या 26, दिनांक 29.4.14 द्वारा 200 सीमेंट बैग्स का क्रय किया गया था। रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार इनमें से ₹31752 (168 बैग्स x 189 प्रति बैग) के 168 सीमेंट बैग्स निर्माण कार्य "लबीली शिष्टम सनेग" को जारी किये गए दर्शाए गए थे तथा ₹4914 (26 बैग्स x 189 प्रति बैग) के 26 बैग्स स्टॉक में थे। परन्तु शेष ₹1134 (6 बैग x 189 प्रति बैग) के 6 बैग्स (1200–(168+26) बारे रोकड़ बही में कोई विवरण दर्ज नहीं था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट

करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवही उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 रोकड़ बही में ₹7640 का अधिक व्यय दर्शाना:–

रोकड़ बही (IWMP पृष्ठ संख्या 51) में दिनांक 22.9.16 को ₹44606 का भुगतान सीमेंट बैग्स के क्रय हेतु दर्शाया गया था। इस भुगतान से सम्बन्धित वाउचर संख्या 36 (बिल संख्या 0548668 दिनांक 26.9.16) की पड़ताल पर पाया गया कि 150 सीमेंट बैग्स का क्रय किया गया था जिसके क्रय हेतु ₹36966 (150X246.44) का भुगतान बनता था परन्तु रोकड़ बही में भुगतान ₹44606 दर्शाया गया था। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹7640 (44606–36966) का व्यय अधिक दर्शाया गया था। अंकेक्षण के दौरान इस बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹7640 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त बिल की तिथि 26.9.16 थी तथा रोकड़ बही में यह भुगतान दिनांक 22.9.16 को दर्शाया गया था। क्रय से पूर्व भुगतान किये जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

15 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	04/14	56	21150	बजरी, रेत तथा ढुलान
			70321	–यथोपरि–
	09/16	91	17325	आर सी सी पाईप
		93	7393.20	सीमेंट
		94	49300	दरवाजे खिडकियाँ
		94	30000	ईंटें
			30000	ईंटें
मनरेगा	4/14	8	24750	ईंटें
			5625	पत्थर
			9000	पत्थर
			14625	पत्थर
			36000	बजरी
			36000	बजरी
			30000	रेत
			30000	रेत
			11250	पत्थर
IWMP (वाटर शेड)	04/14	26	41225	ईंटें
			22477	खिडकियाँ
			22800	रेत
			19600	बजरी
			31752	सीमेंट
			4914	सीमेंट
	08/15	37	2500	शैटरिंग
			26000	बजरी
			1875	गटका

	4914	सीमेंट
	10325	रेत
	2275	रेत
	6591.70	सीमेंट
	22730	सीमेंट
	16000	बजरी
	8750	रेत
	1250	गटका
	4000	शेटरिंग
52	45725	रेत, बजरी, गटका, सीमेंट क्रय एवं ढुलान
	45725	—यथोपरि—
कुल योग	**700878.90**	

16 विविधः—

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रद्द (Cancel) की गई रसीदों का सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन नहीं करवाया जा रहा था। रसीद संख्या 80233 दिनांक 23.7.15 ₹12150 रद्द की गई थी परन्तु रसीद पर न तो रद्द किये जाने का कारण दर्ज था न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका रद्द किया जाना सत्यापित किया गया था। उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः रसीद बुक रजिस्टर update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय

प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में स्वस्त्रोतों से प्राप्त आय को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई भुगतान सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही कर दिए गए थे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	09/16	96	13500	कीमैन को किए गए भुगतान को सम्बन्धित रजिस्टर में सत्यापन नहीं किया गया था
		92	44100	मस्टर रोल संख्या 2641

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(क) यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । मस्टर रोल्स का Part III जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य की पेमाईश/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। साथ ही कई मस्टर रोलस (वाटर शेड) पर इनकी अवधि सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा गया था। मस्टरर रोल रजिस्टर (वाटर शेड) में मस्टर रोलस को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था तथा सम्बन्धित स्तम्भों (पृष्ठ संख्या 38) में सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा जा रहा था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मस्टर रोल (Muster Rolls) की प्रविष्टियाँ Muster roll register में नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	मस्टर रोल सं0	राशि
सामान्य	09/16	92	6046	49000
			2640	47960
			2641	44100
वाटर शेड	09/16	49	6164	46574.25
			5998	23235
			6177	21324.25
			6178	18084

(ग) अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्टर रोल्स से सम्बन्धित मस्टर रोल रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित रजिस्टर Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), miscellaneous demand and collection register (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) Register of bills received (फार्म–13), Stock register of non consumable articles (फार्म–25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये

जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः–** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 38/2017–खण्ड–1–613–616 दिनाँक20.01.2018
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भियुंखरी विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881